संख्याः 157 /XVII–4–2017/1(82)2014

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण विभाग **देहरादूनः दिनांक 27 मार्च, 2017**

विषय– छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

सामान्यतः यह देखने में आया है कि छात्रवृत्ति वितरण से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर में आवेदन स्वीकृत करने की समय सीमा, आवेदनों को अग्रसारित करने की समय सीमा तथा छात्रवृत्ति भुगतान की समय सीमा पृथक–पृथक से निर्धारित की गयी है तथा एक के बाद एक ही यह सॉफ्टवेयर में खुल जाती है। संज्ञान में आया है कि इस प्रणाली से आवेदकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा समय सीमा के अन्तर्गत आवेदन न कर पाने पर छात्र–छात्रायें इससे वंचित रह जाते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित सॉफ्टवेयर में आवेदन प्राप्त करने, संस्थाओं या कालेजों द्वारा आवेदन अग्रसारित करने तथा वितरण करने की समय सीमा का प्राविधान समाप्त करते हुए वेबसाइट को पूर्ण वर्ष के लिए खोला जाये। भुगतान में पूर्व निर्गत शासनादेशों की वरीयता (राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त/प्राईवेट) निर्धारित करने हेतु 31 अगस्त, 31 दिसम्बर और 28/29 फरवरी कट ऑफ डेट निर्धारित की जाये तथा इन तिथियों पर जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उसी के पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुसार वरीयता तथा बजट की उपलब्धता की सीमा तक भुगतान किया जाये। बजट के अभाव में भुगतान से वंचित छात्र–छात्राओं को बजट प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति वरीयता सम्बन्धित श्रेणी (राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त/प्राइवेट) में दी जायेगी। वरीयता निर्धारण का आधार आवेदन करने की तिथि होगी।

तत्काल प्रभाव से यह प्रणाली लागू की जाये।

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

निदेशालय ५ /

2

165

पृष्ठांकन संख्याः   /स0क0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)

सचिव।